

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम: PPP (Public Private Partnership)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): B.13.2.1

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): Outsourcing of Generator for ANMTCs & GNMTCs

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : नर्सिंग स्कूलों के शिक्षण व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु आवश्यक है कि सभी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो। लेकिन सभी नर्सिंग स्कूलों में बिजली चले जाने के बाद रोशनी की उचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। अतः इस मद में आवंटित राशि के माध्यम से सभी नर्सिंग स्कूलों में Silent Generator की सुविधा प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। तत्काल राज्य में कुल 21 ए.एन.एम. तथा 6 जी.एन.एम. स्कूल पूर्व से स्थापित हैं, जिसकी सूची निम्नवत है-

Sl. No.	List of all Govt. ANM & GNM Schools
1	ANM School, Sadar Hospital Campus, Begusarai
2	ANM School, Sadar Hospital Campus, Bhagalpur
3	ANM School, Sadar Hospital Campus, Bhojpur
4	ANM School, Sadar Hospital Campus, Motihari
5	ANM School, Prabhawati Janana Hospital Gaya
6	ANM School, Sadar Hospital Campus, Hathua (Gopalganj)
7	ANM School, Sadar Hospital Campus, Katihar
8	ANM School, Sadar Hospital Campus, Kishanganj
9	ANM School, Sadar Hospital Campus, Madhubani
10	ANM School, Sadar Hospital Campus, Munger
11	ANM School, Sadar Hospital Campus, Muzaffarpur
12	ANM School, Sadar Hospital Campus, Biharsharif
13	ANM School, Sadar Hospital Campus, Barh
14	LHV School, Guru Govind Singh Hospital, Patna City
15	ANM School, Sadar Hospital Campus, Purnia
16	ANM School, Sadar Hospital Campus, Saharsa
17	ANM School, Sadar Hospital Campus, Samastipur
18	ANM School, Sadar Hospital Campus, Saran (Chhapra)
19	ANM School, Sadar Hospital Campus, Sitamarhi
20	ANM School, Sadar Hospital Campus, Vaishali (Hazipur)
21	ANM School, Sadar Hospital Campus, Betia (W. Champaran)
22	GNM School, JLNMC Bhagalpur
23	GNM School, DMCH Darbhanga
24	GNM School, ANMMCH Gaya
25	GNM School, SKMCH Muzaffarpur
26	GNM School, NMCH Patna
27	GNM School, PMCH Patna

इकाई राशि (रु० में) :

➤ रु० 1,00,000/- प्रति ए.एन.एम. एवं प्रति जी.एन.एम. स्कूल।

13/7/13

Xattar

वित्तीय दिशा निर्देश :

- आवंटित राशि राज्य के सभी नर्सिंग स्कूलों के स्कूल भवन, छात्रावास एवं अनुशिक्षिका बहनों के सरकारी आवास गृह में बिजली चले जाने के बाद अस्पताल परिसर में उपलब्ध Silent Generator की सुविधा को नर्सिंग स्कूलों से जोड़कर अबाध विद्युत आपूर्ति करने हेतु दी जा रही है।
- ए.एन.एम. स्कूल हेतु दी जानेवाली राशि संबंधित जिलों के जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गई है तथा जी.एन.एम. स्कूल हेतु दी जानेवाली राशि संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को आवंटित की गई है।
- संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल Outsourcing के माध्यम से संबंधित नर्सिंग स्कूलों में Generator की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
- संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल 24 Hour रोशनी की व्यवस्था के उद्देश्य से बिजली चले जाने के उपरान्त संबंधित अस्पताल परिसर में उपलब्ध Silent Generator की सुविधा ए.एन.एम./जी.एन.एम. स्कूल के छात्रावास एवं स्कूल भवन, अनुशिक्षिका बहनों के सरकारी आवास गृह में संयुक्त रूप से उपलब्ध कराएंगे।
- Generator की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के उपरान्त इसकी सूचना नर्सिंग कोशांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- रोशनी के अभाव में नर्सिंग प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण बाधित होता है। अतः कार्य की अनिवार्यता को देखते हुए भीघ्न हीं अबाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है।
- राशि आवंटन के उपरान्त एक माह के अन्दर सभी स्कूलों में Generator की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। ऐसा नही पाए जाने पर संबंधित जिलों के सिविल सर्जन तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक उक्त कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे।
- जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराये गये राशि के खर्च का ब्यौरा (SOE) असैनिक भाल्य चिकित्सक सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति प्रत्येक तीन माह पर राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को उपलब्ध कराये गये राशि के खर्च का ब्यौरा (SOE) अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल प्रत्येक तीन माह पर राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- राशि का खर्च सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों का पालन करते हुये बिहार सरकार की वित्तीय नियमावली 2005 के आलोक में की जाएगी।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम :

डॉ० वाई० एन० पाठक

राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (नर्सिंग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर :

9470003829

13/7/13

Kattak